XII वर्ष 2025-26 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का आकार वर्ष-दर -वर्ष 20.6 प्रतिशत से बढ़ा है। इस वर्ष आय में 26.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और व्यय में 102.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष का समापन ₹2,86,588.46 करोड़ के कुल अधिशेष के साथ हुआ, जबकि पिछले वर्ष यह ₹2,68,590.07 करोड़ था, जो 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

XII.1 तुलन-पत्र के आकार में ₹15,71,699.15 करोड़ की वृद्धि हुई, अर्थात इसका आकार 31 मार्च 2025 के ₹76,25,421.93 करोड़ से 20.6 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹91,97,121.08 करोड़ हो गया। घरेलू निवेश, स्वर्ण और विदेशी निवेश में क्रमश: 44.9 प्रतिशत, 63.8 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत की वृद्धि के कारण आस्ति पक्ष में वृद्धि हुई। देयताओं के पक्ष में पुनर्मूल्यन खाते, जारी किए गए नोटों, जमाराशियों और अन्य देयताओं में क्रमश: 63.4 प्रतिशत, 11.8 प्रतिशत, 11.6 प्रतिशत और 21.1 की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2026 तक कुल आस्तियों में, घरेलू आस्तियों का हिस्सा 29.1 प्रतिशत था, जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियों, स्वर्ण (जमा स्वर्ण और भारत में रखा स्वर्ण मिलाकर), भारत के बाहर के वित्तीय संस्थानों को ऋण और अग्रिम मिलाकर कुल हिसा 70.9 प्रतिशत था, जो 31 मार्च 2025 को क्रमशः 25.7 प्रतिशत और 74.3 प्रतिशत था।

XII.2 ₹1,09,379.64 करोड़ का प्रावधान किया गया और उसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया। आस्ति विकास निधि (एडीएफ) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, व्यय, निवल आय और केन्द्र सरकार को अंतरित अधिशेष के संबंध में प्रवृत्तियों का विवरण सारणी XII.1 में दिया गया है।

XII.3 31 मार्च 2026 के वर्षांत के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और आय विवरण; अनुसूचियां, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की विवरणी और लेखा संबंधी अनुपूरक टिप्पणियों के साथ नीचे प्रस्तुत हैं:

सारणी XII.1 : आय, व्यय, निवल आय और केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष की प्रवृत्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5	6
a) आय	1,60,112.13	2,35,457.26	2,75,572.32	3,38,308.09	4,27,684.15
b) कुल व्यय[1]	1,29,800.68[2]	1,48,037.04[3]	64,694.33[4]	69,714.02[5]	1,41,091.69[6]
c) निवल आय (ए-बी)	30,311.45	87,420.22	2,10,877.99	2,68,594.07	2,86,592.46
d) निधियों को अंतरण[7]	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
e) केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	30,307.45	87,416.22	2,10,873.99	2,68,590.07	2,86,588.46

Notes: 1. सीएफ और एडीएफ के लिए प्रावधान शामिल करें।
2. सीएफ और एडीएफ को अंतरण के लिए क्रमशः ₹1,14,567.01 करोड़ और ₹100 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
3. सीएफ को अंतरण के लिए ₹1,30,875.75 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
4. सीएफ को अंतरण के लिए ₹42,819.91 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
5. सीएफ को अंतरण के लिए ₹44,861.70 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
6. सीएफ को अंतरण के लिए ₹1,09,379.64 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।
7. प्रत्येक वर्ष ₹1 करोड़ की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि में अंतरित की गई।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षक, एतद् द्वारा केंद्र सरकार को, 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, बैंक के तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूचियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित आय विवरण (इसके बाद "वित्तीय विवरण" कहा गया है), जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है, के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और जैसा कि बैंक के लेखा बहियों से स्पष्ट है, अनुसूचियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित, यह तुलन पत्र पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं; और यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ("आरबीआई अधिनियम, 1934") के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों, यथासंशोधित की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किया गया है, ताकि 31 मार्च 2026 तक बैंक के कार्य और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके परिचालन के परिणाम की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

अभिमत का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार हमने उक्त वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिया गया हैं। आईसीएआई द्वारा जारी *आचार संहिता* के साथ-साथ लेखा परीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं; जो हमारे द्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं, के अनुसार हम बैंक से निरपेक्ष हैं, तथा हमने आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की ज़िम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारियों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों अथवा लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाओं के साथ तात्विक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत उल्लिखित प्रतीत होती हैं। हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हमारा निष्कर्ष है कि अन्य जानकारी गंभीर रूप से गलत उल्लिखित है, तो उस तथ्य को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक कुछ भी नहीं मिला है।

प्रबंधन और वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन प्रभार वहन करने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों का अभिशासन करने वालों का यह उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमों और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरण तैयार करें। इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित भी शामिल हैं: बैंक की आस्तियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त लेखा परीक्षा अभिलेखों का रखरखाव; धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो सत्य और त्रुटिहीन अभिमत प्रस्तुत करें तथा गंभीर विवरणात्मक भूल से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। प्रबंधन इसके लिए भी जिम्मेदार है कि वह 'कार्यशील संस्था' के रूप में बैंक की क्षमता का आकलन करे और लेखांकन के 'कार्यशील संस्था' आधार का उपयोग करे। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, बैंक का परिसमापन केंद्र सरकार द्वारा आदेश से और निदेशित किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की ज़िम्मेदारी भी उनकी है, जिन्हें इसके अभिशासन का प्रभार दिया गया है ।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से इस संबंध में आश्वस्त होना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की तथ्यात्मक गलती, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त है तथा अपने अभिमत के साथ लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में हमेशा तात्विक गलती, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाए। गलत विवरण किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे, व्यक्तिगत अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इसके उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय यथोचित रूप से प्रभावित होने की संभावना हो। उचित आश्वासन में वस्तुपरकता की

उपर्युक्त अवधारणाएं और लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप परीक्षण-जांच का उपयोग शामिल है।

इस लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर रुख अपनाते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलती, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और अपने अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखा परीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलती का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलती से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखा परीक्षा पद्धति तैयार की जा सके। लेकिन इसका प्रयोग बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभाविता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं ।
- लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ठोस संदेह मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी रखने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकता है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस संदेह मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों।
- आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना, और तथ्य का मूल्यांकन करते हैं, और यह देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे, समय और लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं, जिनकी पहचान हम लेखा परीक्षा के दौरान करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों को एक विवरणी भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं, और उन सभी संबंधों और उन अन्य मामलों को सूचित करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित प्रभाव डालते हों, एवं जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन किया है।

अन्य मामले

(ए) हम सूचित करते हैं कि लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिज़र्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

(बी) हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिज़र्व बैंक की 25 (पच्चीस) लेखांकन इकाइयों का लेखा–जोखा शामिल है, जिनकी लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा-लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है। इन लेखा इकाइयों की वित्तीय जानकारी पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन लेखा इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधना नहीं किया गया है।

कृते सोराब एस. इंजीनियर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 110417डब्ल्यू)

पेशवान एन. अंकलेसरिया
भागीदार
सदस्यता संख्या 131394
यूडीआईएन: 26131394VUUAKO2879

कृते कल्याणीवाला एंड मिस्त्री एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 104607डब्ल्यू/डब्ल्यू100166)

दारायस जेड. फ्रेजर
भागीदार
सदस्यता संख्या 042454
यूडीआईएन: 26042454PJZBLW8066

स्थान: मुंबई
दिनांक : 22 मई 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताएं	अनुसूची	2024-25	2025-26	आस्तियां	अनुसूची	2024-25	2025-26
पूंजी		5.00	5.00	**बैंकिंग विभाग (बीडी) की आस्तियां**			
आरक्षित निधि		6,500.00	6,500.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	6	11.26	11.72
अन्य आरक्षित निधियां	1	242.00	244.00	स्वर्ण-बैंकिंग विभाग	7	4,31,624.80	7,06,162.36
जमाराशियाँ	2	17,17,404.03	19,16,692.11	निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग	8	14,32,572.10	15,32,082.73
जोखिम प्रावधान				निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग	9	15,58,573.83	22,58,591.14
आकस्मिकता निधि		5,42,426.96	5,68,333.19	खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
आस्ति विकास निधि		22,974.68	22,974.68	ऋण और अग्रिम	10	4,34,710.24	4,77,218.69
पुनर्मूल्यन खाता	3	13,26,793.43	21,68,530.23	सहयोगी संस्थाओं में निवेश	11	2,063.60	2,063.60
अन्य देयताएं	4	3,21,248.79	3,89,074.99	अन्य आस्तियां	12	78,039.06	96,223.96
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग (आईडी) की आस्तियां (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)**			
जारी किए गए नोट	5	36,87,827.04	41,24,766.88	स्वर्ण- आईडी	7	2,36,537.54	3,88,147.13
				रुपया सिक्का		328.76	468.22
				निवेश-विदेशी-आईडी	8	34,50,960.74	37,36,151.53
				निवेश-घरेलू-आईडी	9	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक-पत्र		0.00	0.00
						36,87,827.04	**41,24,766.88**
	कुल देयताएं	**76,25,421.93**	**91,97,121.08**		**कुल आस्तियां**	**76,25,421.93**	**91,97,121.08**

संगीता लालवानी प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	रोहित जैन उप गवर्नर	शिरिश चन्द्र मुर्मू उप गवर्नर	पूनम गुप्ता उप गवर्नर	स्वामीनाथन जे उप गवर्नर	संजय मल्होत्रा गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आय	अनुसूची	2024-25	2025-26
ब्याज	13	2,10,687.64	2,35,579.79
अन्य आय	14	1,27,620.45	1,92,104.36
कुल		**3,38,308.09**	**4,27,684.15**
व्यय			
नोटों का मुद्रण		6,372.82	4,875.20
मुद्रा विप्रेषण पर व्यय		151.02	170.82
एजेंसी प्रभार	15	3,669.56	4,880.05
कर्मचारी लागत		9,146.71	10,136.31
ब्याज		2.44	2.71
डाक और संचार प्रभार		106.43	120.41
मुद्रण और लेखन-सामग्री		24.24	23.40
किराया, कर, बीमा, बिजली, *आदि*		274.65	300.13
मरम्मत और रखरखाव		177.55	191.55
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		4.80	5.85
लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		7.24	8.42
विधिक प्रभार		17.67	24.04
मूल्यह्रास		623.63	779.20
विविध व्यय		4,273.56	10,193.96
प्रावधान		44,861.70	1,09,379.64
कुल		**69,714.02**	**1,41,091.69**
उपलब्ध शेष राशि		**2,68,594.07**	**2,86,592.46**
घटाना :			
(ए) निम्नलिखित में अंशदान:			
(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
(बी) नाबार्ड को अंतरण योग्य:			
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि[1]		1.00	1.00
(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि[1]		1.00	1.00
(सी) अन्य		0.00	0.00
केंद्र सरकार को देय अधिशेष राशि		**2,68,590.07**	**2,86,588.46**

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

संगीता लालवानी	रोहित जैन	शिरिश चन्द्र मुर्मू	पूनम गुप्ता	स्वामीनाथन जे	संजय मल्होत्रा
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा है

(राशि ₹ करोड़ में)

		2024-25	2025-26
अनुसूची 1:	**अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	34.00	35.00
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	208.00	209.00
	Total	**242.00**	**244.00**
अनुसूची 2:	**जमाराशियाँ**		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	5,000.85	5,000.48
	(ii) राज्य सरकार	42.48	43.41
	उप योग	***5,043.33***	***5,043.89***
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	9,26,001.43	7,53,866.83
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8,439.50	6,922.12
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	11,606.14	9,859.62
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6,569.07	7,347.63
	(v) अन्य बैंक	38,872.35	32,128.28
	उप योग	***9,91,488.49***	***8,10,124.48***
	(सी) भारत से बाहर की वित्तीय संस्थाएं		
	(i) रेपो उधार-विदेशी	1,11,579.53	1,61,992.51
	(ii) नकद मार्जिन- विदेशी	1,092.49	2,793.34
	उप योग	***1,12,672.02***	***1,64,785.85***
	(डी) अन्य		
	(i) आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि खाते के प्रशासक	4,902.84	5,339.62
	(ii) जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि	97,545.12	1,12,564.29
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियाँ	348.37	1,030.26
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियाँ	10,159.58	13,027.35
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियाँ	501.14	579.31
	(vi) म्यूचुअल फंड	1.32	1.32
	(vii) अन्य	4,94,741.82	8,04,195.74
	उप योग	***6,08,200.19***	***9,36,737.89***
	कुल	**17,17,404.03**	**19,16,692.11**
अनुसूची 3:	**पुनर्मूल्यन खाता**		
	(i) मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)	13,02,964.89	21,68,530.23
	(ii) निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियाँ (आईआरए-एफ़एस)	0.00	0.00
	(iii) निवेश पुनर्मूल्यन खाता- रुपया प्रतिभूतियाँ (आईआरए-आरएस)	16,843.35	0.00
	(iv) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (एफ़सीवीए)	6,985.19	0.00
	कुल	**13,26,793.43**	**21,68,530.23**
अनुसूची 4:	**अन्य देयताएं**		
	(i) वायदा संविदा पुनर्मूल्यन लेखा के लिए प्रावधान (पीएफसीवीए)	0.00	43,403.23
	(ii) देय राशियों के लिए प्रावधान	4,088.31	7,682.46
	(iii) उपदान और अधिवर्षिता निधि	36,470.57	39,405.30
	(iv) केंद्र सरकार को देय अधिशेष	2,68,590.07	2,86,588.46
	(v) देय बिल	0.09	6.80
	(vi) विविध	12,099.75	11,988.74
	कुल	**3,21,248.79**	**3,89,074.99**
अनुसूची 5:	**जारी नोट**		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	11.19	11.67
	(ii) संचलन में नोट	36,86,799.39	41,23,983.55
	(iii) सीबीडीसी-डब्ल्यू	0.00	0.00
	(iv) सीबीडीसी-आर	1,016.46	771.66
	कुल	**36,87,827.04**	**41,24,766.88**

		2024-25	2025-26
अनुसूची 6:	**नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के**		
	(i) नोट	11.19	11.67
	(ii) रुपया सिक्का	0.06	0.04
	(iii) छोटे सिक्के	0.01	0.01
	कुल	**11.26**	**11.72**
अनुसूची 7:	**स्वर्ण**		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण	4,17,205.49	7,02,679.17
	(ii) स्वर्ण जमा	14,419.31	3,483.19
	उप योग	***4,31,624.80***	***7,06,162.36***
	(बी) निर्गम विभाग	2,36,537.54	3,88,147.13
	कुल	**6,68,162.34**	**10,94,309.49**
अनुसूची 8:	**निवेश-विदेशी**		
	(i) निवेश-विदेशी -बीडी	14,32,572.10	15,32,082.73
	(ii) निवेश-विदेशी -आईडी	34,50,960.74	37,36,151.53
	कुल	**48,83,532.84**	**52,68,234.26**
अनुसूची 9:	**निवेश-घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू -बीडी	15,58,573.83	22,58,591.14
	(ii) निवेश-घरेलू -आईडी	0.00	0.00
	कुल	**15,58,573.83**	**22,58,591.14**
अनुसूची 10:	**ऋण और अग्रिम**		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम:		
	(i) केंद्र सरकार	0.00	0.00
	(ii) राज्य सरकार	32,688.09	32,506.59
	उप योग	***32,688.09***	***32,506.59***
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम:		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	2,53,663.00	2,56,062.00
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	0.00	0.00
	(vi) अन्य	36,426.09	26,190.46
	उप योग	***2,90,089.09***	***2,82,252.46***
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम		
	(i) रिवर्स रेपो उधार-विदेशी	1,11,579.53	1,61,992.51
	(ii) रेपो मार्जिन-विदेशी	353.53	467.13
	उप योग	***1,11,933.06***	***1,62,459.64***
	कुल	**4,34,710.24**	**4,77,218.69**
अनुसूची 11:	**सहयोगी/सहायक संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00
	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00
	(iii) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लि. (आरईबीआईटी)	50.00	50.00
	(iv) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	30.00	30.00
	(v) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	33.60	33.60
	(vi) रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच)	100.00	100.00
	कुल	**2,063.60**	**2,063.60**

		2024-25	2025-26
अनुसूची 12:	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	2,512.81	6,378.96
	(ii) **उपचित आय (ए + बी)**	**64,001.01**	**83,380.28**
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर	*479.85*	*550.63*
	बी. अन्य मदों पर	*63,521.16*	*82,829.65*
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा (एसएए)	0.00	0.00
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)	6,985.19	0.00
	(v) विविध	4,540.05	6,464.72
	कुल	**78,039.06**	**96,223.96**
अनुसूची 13:	**ब्याज**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	85,524.67	1,17,739.57
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-4,739.82	-8,681.73
	(iii) एसडीएफ़ पर ब्याज	-5,844.65	-10,599.55
	(iv) एमएसएफ़ परिचालन पर ब्याज	464.22	118.31
	(v) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	1,922.77	1,787.94
	उप योग	***77,327.19***	***1,00,364.54***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज आय	97,006.66	1,07,678.67
	(ii) रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन पर निवल ब्याज	158.59	129.42
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	36,195.20	27,407.16
	उप योग	***1,33,360.45***	***1,35,215.25***
	कुल	**2,10,687.64**	**2,35,579.79**
अनुसूची 14:	**अन्य आय**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) बट्टा	0.00	0.00
	(iii) कमीशन	4,131.64	4,523.37
	(iv) प्राप्त किराया	9.00	14.05
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	1,105.16	886.45
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास	-69.50	-45.49
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-2,681.71	-5,024.58
	(viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री से लाभ/हानि	2.16	13.32
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	-353.40	-703.05
	उप योग	***2,143.35***	***-335.93***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	13,686.63	16,354.18
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	661.64	3,503.49
	(iii) विदेशी विनिमय से विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	1,11,143.38	1,68,906.37
	(iv) विविध आय	-14.55	3,676.25
	उप योग	***1,25,477.10***	***1,92,440.29***
	कुल	**1,27,620.45**	**1,92,104.36**
अनुसूची 15:	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेनदेन पर एजेंसी कमीशन	3,531.76	4,605.81
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	15.78	86.34
	(iii) विविध (राहत/बचत बॉण्डों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंको को अदा किया गया संचालन प्रभार और टर्नओवर कमीशन)	6.47	11.18
	(iv) बाह्य आस्ति प्रबंधक, अभिरक्षकों, ब्रोकर आदि को अदा किया गया शुल्क	115.55	176.72
	कुल	**3,669.56**	**4,880.05**

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य ''बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना" है।

1.2 आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग हो और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाएगा। निर्गम विभाग की आस्तियां निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर किसी अन्य देयता के अधीन नहीं होंगी। निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। आरबीआई अधिनियम, 1934 की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार के करेंसी नोटों तथा संचलनगत बैंक नोटों के योग के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 कन्वेंशन

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए जाते हैं। ये ऐतिहासिक लागत पर आधारित होते हैं, सिवाय इसके कि जहां पुनर्मूल्यन और/या परिशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए इसे संशोधित किया गया हो। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनायी जाने वाली लेखा नीतियां पिछले वर्ष में अपनायी गई नीतियों के अनुरूप हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.2 राजस्व निर्धारण

ए) आय और व्यय को बैंकों से लिए जाने वाले दंडात्मक ब्याज को छोड़कर उपचय के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसका हिसाब तभी दिया जाता है जब वसूली की निश्चितता हो। प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर शेयरों पर लाभांश आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है।

बी) ड्राफ्ट देय खाते, भुगतान आदेश खाता, विविध जमा खाता- विविध-बीडी, विप्रेषण समाशोधन खाता, अग्रिम राशि जमा खाता और प्रतिभूति जमा खाते सहित कुछ ट्रांजिट खातों में तीन से अधिक लगातार पूर्ण लेखांकन वर्षों के लिए बकाया और अदावी शेष जमाराशि की समीक्षा की जाती है और आय में प्रतिलेखित किया जाता है। दावे, यदि कोई हों, पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में आय पर अधिरोपित किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय, उस दिन के प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

डी) विदेशी मुद्राओं और स्वर्ण की बिक्री पर विनिमय लाभ/हानि की लागत निकालने के लिए भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग कर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियां एवं देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

ए) स्वर्ण

स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित) का पुनर्मूल्यन, दैनिक आधार पर, अमेरिकी डॉलर में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) के स्वर्ण की कीमत के नब्बे (90) प्रतिशत और रुपया-अमेरिकी डॉलर बाज़ार विनिमय दर पर किया जाता है। अप्राप्त मूल्यन लाभ/हानि को मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में शामिल किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रेपो और संविदाओं, जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा को छोड़कर) विद्यमान विनिमय दरों पर दैनिक आधार पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से होने वाले लाभ/हानि का लेखांकन सीजीआरए में किया जाता है।

ट्रेज़री बिल (टी-बिल), वाणिज्यिक पत्र और कुछ 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियों [जैसे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों में निवेश और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यूके द्वारा जारी बॉण्ड, जो लागत पर मूल्यांकित हैं] के अलावा विदेशी प्रतिभूतियां, दैनिक आधार पर मार्क्ड-टू-मार्केट होती हैं। पुनर्मूल्यन पर अप्राप्त लाभ/हानि 'निवेश पुनर्मूल्यन खाता - विदेशी प्रतिभूति' (आईआरए-एफएस) में दर्ज किए जाते हैं। आईआरए-एफएस में जमा (क्रेडिट) शेष को अगले लेखा वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को आईआरए-एफएस में नामे (डेबिट) शेष, यदि कोई हो, आकस्मिक निधि (सीएफ) से वसूल किया जाता है और उसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस कर दिया जाता है।

विदेशी टी-बिल और वाणिज्यिक पत्रों को डिस्काउंट/ प्रीमियम के दैनिक परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट का दैनिक परिशोधन किया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि को परिशोधित बही मूल्य के संबंध में निर्धारित किया जाता है।

सी) वायदा (फॉरवर्ड)/ स्वैप संविदाएँ

रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। बाज़ार मूल्य पर निवल लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, जबकि बाज़ार मूल्य पर (एमटीएम) निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा मूल्यन हेतु प्रावधान खाता' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि रिवर्स किए जाते हैं। अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि रिवर्स कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख पर एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, को सीएफ से प्रभारित किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि वायदा संविदाओं के मूल्यन पर क्रमशः निवल अप्राप्त लाभ और हानि को दर्शाती है।

बाज़ार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप के मामले में, जो रेपो के रूप में होती है, फ्यूचर संविदा दर तथा संविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है। अंतर्निहित संविदा की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि रिवर्स की जाती है, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है।

जहाँ, एफसीवीए 'पुनर्मूल्यन खातों' का हिस्सा है, वहीं पीएफसीवीए 'अन्य देयताओं' का हिस्सा है, और आरएफसीए और एसएए 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा हैं।

डी) पुनर्खरीद लेनदेन

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालन के एक अंग के रूप में रिज़र्व बैंक विदेशी पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो और रिवर्स रेपो) में सहभागिता करता है। रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार लेने के रूप में माना जाता है और 'जमा' के अंतर्गत दर्शाया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार देने के रूप में माना जाता है और 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है।

ई) डेरिवेटिव में लेनदेन

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालनों के हिस्से के रूप में, ब्याज दर फ्यूचर्स, मुद्रा फ्यूचर्स, ब्याज दर स्वैप और ओवरनाइट इंडेक्सड स्वैप, जैसे डेरिवेटिव में लेनदेन को आवधिक आधार पर बाज़ार भाव पर दर्शाया (मार्क्ड-टू-मार्केट) जाता है और परिणामी लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

एफ) प्रतिभूति उधार देने संबंधी लेनदेन

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालनों के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक प्रतिभूति उधार देने संबंधी लेनदेन में सहभागिता करता है। उधार दी गई प्रतिभूतियां रिज़र्व बैंक के निवेशों का हिस्सा बनी रहती हैं और इन्हें परिशोधित किया जाता है, ये ब्याज अर्जित करती हैं और बाज़ार भाव पर दर्शाई (मार्क्ड-टू-मार्केट) जाती हैं।

2.4 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में लेनदेन

रिज़र्व बैंक द्वारा अपने हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में किए गए ईटीसीडी लेनदेन दैनिक आधार पर मार्क्ड-टू-मार्केट होते हैं और परिणामी लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

ए) रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड, टी-बिल और (डी) में उल्लिखित को छोड़कर, शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार बाज़ार दर में चिह्नित किए जाते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-रुपया प्रतिभूतियों' (आईआरए-आरएस) में शामिल किया जाता है। आईआरए-आरएस के जमा शेष को अगले लेखा वर्ष में आगे बढ़ाया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को आईआरए-आरएस में नामे शेष, यदि कोई हो, को सीएफ से प्रभारित किया जाता है और इसे अगले लेखांकन वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों/तेल बॉण्डों की बिक्री/मोचन पर आईआरए-आरएस में पड़े हुए उनके मूल्यांकन लाभ/हानि, आय खाते में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड भी दैनिक परिशोधन के अधीन हैं।

बी) टी-बिल को डिस्काउंट/प्रीमियम के दैनिक परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है।

सी) समनुषंगी के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

डी) विभिन्न स्टाफ निधियों [(जैसे उपदान और अधिवर्षिता, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा सहायता निधि)] डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईए) और भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) के लिए निर्धारित रुपया प्रतिभूतियों और तेल बॉण्ड को 'परिपक्वता के लिए धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधन लागत पर धारित किया जाता है।

ई) घरेलू निवेश में लेनदेनों का लेखा-जोखा निपटान तिथि के आधार पर रखा जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रेपो/रिवर्स रेपो, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)

एलएएफ रेपो और एमएसएफ उधार के रूप में माने जाते हैं और तदनुसार 'ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाए जाते हैं। एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो और एसडीएफ लेनदेन, जमाराशियों के रूप में माने जाते हैं और 'जमाराशियां-अन्य' के तहत दर्शाये जाते हैं।

2.7 अचल आस्तियां

अचल आस्तियों में, लागत पर धारित कला और चित्रकारी तथा पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड लैंड) को छोड़कर, अन्य सभी को लागत मूल्य में से मूल्यह्रास घटाकर प्राप्त लागत पर नियत किया गया है।

2.7.1 भूमि और भवनों के अलावा अचल आस्तियां

ए) ₹1 लाख तक की अचल आस्तियों (लैपटॉप/ई-बुक रीडर जैसी आसानी से ले जाने-योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को छोड़कर) को अधिग्रहण के वर्ष में आय में प्रभारित किया जाता है। आसानी से ले जाने-योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे लैपटॉप, आदि, जिनकी कीमत ₹10,000 से अधिक है, को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दर पर मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

बी) ₹1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अलग-अलग मदों को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

सी) लेखांकन वर्ष के दौरान अर्जित और पूंजीकृत अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की गणना, पूंजीकरण के महीने से मासिक आनुपातिक आधार पर की जाएगी और अनुप्रयुक्त आस्तियों के उपयोगी जीवन-काल के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार छमाही आधार पर प्रभावी होगी।

डी) एक आस्ति के उपयोगी जीवन-काल के आधार पर, अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास एक 'सीधी रेखा' पद्धति के आधार पर निम्नलिखित तरीके से दर्शाया जाता है:

आस्ति की श्रेणी	उपयोगी जीवन-काल (मूल्यह्रास की दर)
1	2
विद्युत संस्थापना, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, फिक्स्चर, सीवीपीएस/ एसबीएस मशीनें, इत्यादि।	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो प्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर /आई-पैड इत्यादि	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

ई) मासिक यथानुपात आधार पर छमाही के अंत में अचल आस्तियों की शेष राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन के मामले में, ऐसी आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन के माह सहित मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है।

एफ) बाद के *व्यय* पर मूल्यह्रास:

i. एक मौजूदा अचल आस्ति पर उपगत बाद का व्यय, जिसे खाता बहियों में पूरी तरह से मूल्यह्रासित नहीं किया गया है, उसका मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन-काल पर मूल्यह्रास किया जाता है;

ii. मौजूदा अचल आस्ति के आधुनिकीकरण/परिवर्धन/ ओवरहालिंग पर किए गए बाद के व्यय, जिनका पहले से ही खाता बहियों में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और जिस वर्ष में व्यय होता है, उसके बाद उस वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।

2.7.2 **भूमि एवं भवन:** भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

ए) भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली आस्तियाँ माना जाता है और तदनुसार इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन, पट्टे की अवधि के दौरान किया जाता है।

iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

बी) भवन

i. सभी भवनों का जीवन-काल 30 वर्ष का माना जाता है और इन पर तीस वर्षों के दौरान 'सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट-लाइन)' आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यह्रास, भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।

ii. *भवनों को हुई क्षति:* क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- *ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित किए गए हों या जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा:* ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यह्रास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यह्रास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।
- *जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/ जिन्हें खाली कर दिया गया है:* ये भवन, वसूली-योग्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा अवशिष्ट (स्क्रैप) मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) पर दर्शाये गए हैं। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और वसूली-योग्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य)/ स्क्रैप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी लाभ

ए) बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए प्रत्येक माह एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन अंशदानों को संबंधित वर्ष में आय खाते में प्रभारित किया जाता है।

बी) दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित अन्य देयता का प्रावधान 'पूर्वानुमानित इकाई क्रेडिट' पद्धति के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.4 रिज़र्व बैंक की देयताएं

XII.4.1 पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹5 करोड़ थी। रिज़र्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया था और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास निहित है। बैंक की चुकता पूंजी ₹5 करोड़ बनी हुई है।

XII.4.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹5 करोड़ की मूल आरक्षित निधि का सृजन, रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहित संप्रभु सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाली ₹6,495 करोड़ की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹6,500 करोड़ हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो 'पुनर्मूल्यन खाता' शीर्ष के अंतर्गत आता है।

XII.4.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए) *राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46सी के अनुसार ₹10 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की राशि का अंशदान

किया जा रहा है। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार इस निधि में शेष राशि ₹35 करोड़ थी।

बी) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹50 करोड़ की आरंभिक मूल पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, इस निधि में प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹209 करोड़ की शेष राशि थी।

टिप्पणी: अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए, प्रति निधि प्रत्येक वर्ष ₹1 करोड़ की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.4.4 जमाराशियां

ये बैंकों, केन्द्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक), नाबार्ड आदि, विदेशी केन्द्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, डीईए निधि के प्रशासकों पास शेष, रिवर्स रेपो, एसडीएफ, एमएएफ, पीआईडीएफ आदि के लिए बकाया राशि द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी गई शेष राशि को दर्शाते हैं। कुल जमाराशि 31 मार्च 2025 को ₹17,17,404.03 करोड़ से 11.6 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 तक ₹19,16,692.11 करोड़ हो गई।

ए. जमाराशियां - सरकार

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए में परस्पर करार के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। इसी के अनुरूप, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक में जमाराशि रखती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की रिज़र्व बैंक के पास धारित जमाराशियां 31 मार्च 2025 के ₹5,000.85 करोड़ और ₹42.48 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2026 को क्रमशः ₹5,000.48 करोड़ और ₹43.41 करोड़ रहीं।

बी. जमाराशियां - बैंक

बैंक नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) के रूप में और भुगतान और निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक के पास जमाराशि रखते हैं। जमाराशियाँ-बैंक 31 मार्च 2025 को ₹9,91,488.49 करोड़ से 18.3 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2026 तक ₹8,10,124.48 करोड़ हो गई, मुख्य रूप से इसका कारण वर्ष के दौरान सीआरआर का निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत होना है।

सी. जमाराशियां – भारत के बाहर वित्तीय संस्थाएं

इस शीर्ष के तहत शेष राशि 31 मार्च 2025 के ₹1,12,672.02 करोड़ से 46.3 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 तक ₹1,64,785.85 करोड़ हो गई, जो बकाया रेपो लेनदेन को दर्शाती है।

डी. जमाराशियां - अन्य

'जमाराशियाँ-अन्य' में आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, डीईए निधि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, एमएएफ, पीआईडीएफ के प्रशासकों के पास शेष राशि, रिवर्स रेपो, एसडीएफ आदि के तहत बकाया राशि शामिल है। 'जमाराशियाँ-अन्य' 31 मार्च 2025 के ₹6,08,200.19 करोड़ से

54 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 तक ₹9,36,737.89 करोड़ हो गई, जो मुख्य रूप से एसडीएफ और भारत सरकार द्वारा रिवर्स रेपो के तहत जमा में वृद्धि के कारण है।

XII.4.5 जोखिम प्रावधान

रिज़र्व बैंक, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार जोखिम प्रावधानीकरण करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए जोखिम प्रावधानों में आकस्मिकता निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) शामिल हैं। पूंजी और आरक्षित निधि के साथ ये जोखिम प्रावधान रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क[1] (ईसीएफ) के तहत रिज़र्व बैंक की उपलब्ध वसूली इक्विटी (एआरई) के घटक हैं। पूंजी और आरक्षित निधि का विवरण पहले के पैराग्राफ में दिया गया है। दो जोखिम प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है:

ए. *आकस्मिकता निधि (सीएफ)*

यह एक विशिष्ट प्रावधान है जिसका उद्देश्य अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटना है, जिसमें प्रतिभूतियों का मूल्यह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालन से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और रिज़र्व बैंक को सौंपी गई विशेष जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी जोखिम शामिल है। 31 मार्च 2026 तक, निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता (आईआरए) - विदेशी प्रतिभूति, निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता (आईआरए) - रुपया प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता (एफ़सीवीए) में डेबिट शेष राशि के कारण सीएफ़ से क्रमशः ₹90,833.07 करोड़, ₹30,603.99 करोड़ और ₹43,403.23 करोड़ की राशि ली गई थी। सीएफ़ के लिए शुल्क/प्रभार अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस हो जाता है। इसके अलावा, तुलन पत्र के आकार के 6.50 प्रतिशत के स्तर पर उपलब्ध वसूली इक्विटी को बनाए रखने के लिए सीएफ के लिए ₹109,379.64 करोड़ की राशि भी प्रदान की गई। तदनुसार, 31 मार्च 2026 को सीएफ में शेष राशि ₹5,68,333.19 करोड़ रही, जबकि 31 मार्च 2025 को यह ₹5,42,426.96 करोड़ थी।

बी. *आस्ति विकास निधि (एडीएफ)*

आस्ति विकास निधि वर्ष 1997-98 में बनाई गई थी और उसकी शेष राशि विशेष रूप से सहायक कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश और आंतरिक पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए आज तक किए गए प्रावधान को दर्शाती है। वर्ष 2025-26 में एडीएफ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। 31 मार्च 2025 की तरह, 31 मार्च 2026 तक एडीएफ की शेष राशि ₹22,974.68 करोड़ बनी रही (सारणी XII.2)।

XII.4.6 पुनर्मूल्यन खाते

अप्राप्त बाजार मूल्य पर अंकित लाभ/हानि पुनर्मूल्यन शीर्षों में दर्ज किए जाते हैं, अर्थात मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाते (एफसीवीए)। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

ए. *मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)*

रिज़र्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत बाज़ार जोखिम के प्रमुख स्रोत मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) और स्वर्ण के मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके, सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसलिए, सीजीआरए में निवल शेष, आस्ति आधार के आकार, उसके मूल्यांकन और विनिमय दरों और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ परिवर्तित

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूँजी ढांचे की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर ईसीएफ को रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अगस्त 2019 में अपनाया गया था। इसके बाद, बैंक ने ढांचे की आंतरिक समीक्षा की और संशोधित ढांचे को मई 2025 में केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

सारणी XII.2: पूँजी, आरक्षित निधि और जोखिम प्रावधानों में शेष
[उपलब्ध वास्तविक इक्विटी (एआरई)]

(₹ करोड़)

दिनांक	पूँजी	आरक्षित निधि	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि	एआरई	तुलन पत्र के प्रतिशत के रूप में एआरई
1	2	3	4	5	6 = (2+3+4+5)	7
31 मार्च 2022	5.00	6,500.00	3,10,986.94[@]	22,974.68[$]	3,40,466.62	5.5
31 मार्च 2023	5.00	6,500.00	3,51,205.69[$$]	22,974.68	3,80,685.37	6.0
31 मार्च 2024	5.00	6,500.00	4,28,621.03*	22,974.68	4,58,100.71	6.5
31 मार्च 2025	5.00	6,500.00	5,42,426.96 ^	22,974.68	5,71,906.64	7.5
31 मार्च 2026	5.00	6,500.00	5,68,333.19^^	22,974.68	5,97,812.87	6.5

@ : सीएफ में वृद्धि ₹1,14,567.01 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफएस में डेबिट शेष के ₹94,249.54 करोड़ का निवल प्रभाव है।
$: एडीएफ में वृद्धि आरबीआईएच में निवेश के कारण ₹100 करोड़ के प्रावधान से है।
$$: सीएफ में वृद्धि आईआरए-एफएस और आईआरए-आरएस में क्रमशः ₹1,65,488.93 करोड़ और ₹19,417.61 करोड़ के डेबिट शेष के चार्ज और ₹1,30,875.75 करोड़ के प्रावधान का निवल प्रभाव है।
* : सीएफ में वृद्धि आईआरए-एफएस और आईआरए-आरएस में क्रमश: ₹1,43,220.82 करोड़ और ₹7,090.29 करोड़ के डेबिट शेष के चार्ज और ₹42,819.91 करोड़ के प्रावधान का निवल प्रभाव है।
^ : सीएफ में वृद्धि आईआरए-एफएस में ₹44,861.70 करोड़ के प्रावधान और ₹81,366.87 करोड़ के डेबिट शेष के चार्ज का निवल प्रभाव है।
^^ : सीएफ में वृद्धि आईआरए-एफएस, एफसीवीए और आईआरए-आरएस में क्रमशः ₹90,833.07 करोड़, ₹43,403.23 करोड़ और ₹30,603.99 करोड़ के डेबिट शेष के चार्ज और ₹1,09,379.64 करोड़ के प्रावधान का निवल प्रभाव है।

होता रहता है। सीजीआरए विनिमय दर/स्वर्ण की कीमत में उतार-चढ़ाव के लिए एक बफर प्रदान करता है। यदि प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपये में बढ़ोतरी होती है या स्वर्ण की कीमत में गिरावट आती है तो यह दबाव में आ सकता है। जब सीजीआरए विनिमय हानि या स्वर्ण की कीमत के नुकसान को पूरी तरह से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो इसे सीएफ से पूरा किया जाता है। सीजीआरए में शेष राशि 31 मार्च 2025 को ₹13,02,964.89 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक ₹21,68,530.23 करोड़ हो गई, जो मुख्य रूप से प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपये के मूल्यह्रास और स्वर्ण की कीमत में वृद्धि के कारण है।

बी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूतियाँ (आईआरए-एफएस)

विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों को दैनिक आधार पर बाज़ार आधारित दरों पर अंकित किया जाता है और उससे अप्राप्त लाभ/हानि का लेखा-जोखा आईआरए-एफएस में किया जाता है। आईआरए-एफ़एस में शेष राशि 31 मार्च 2025 को ₹(-)81,366.87 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2026 तक ₹(-)90,833.07 करोड़ हो गई, जो प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिफल वक्र में प्रतिफल में सख्ती के कारण थी। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए-एफएस में ₹90,833.07 करोड़ के डेबिट शेष को 31 मार्च 2026 को सीएफ में समायोजित किया गया, जिसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2026 को आईआरए-एफ़एस में शेष राशि शून्य थी।

सी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूतियाँ (आईआरए-आरएस)

रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड (महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के तहत उल्लिखित अपवाद के साथ) शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन में बाज़ार आधारित दरों पर अंकित किया जाता है और उससे उत्पन्न होने वाले अवास्तविक लाभ/हानि को आईआरए-आरएस में लेखांकित किया जाता है। आईआरए-आरएस में शेष 31 मार्च 2025 को ₹16,843.35 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक ₹ (-) 30,603.99 करोड़

हो गया, जो वक्र में प्रतिफल के सख्त होने के कारण था। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए-आरएस में ₹30,603.99 करोड़ के डेबिट शेष को मार्च 2026 को सीएफ में समायोजित किया गया, जिसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2026 को आईआरए-आरएस में शेष शून्य था।

डी. *विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता (एफसीवीए)*

31 मार्च 2026 तक बकाया वायदा संविदा के बाज़ार आधारित दरों पर अंकित करने के परिणामस्वरूप ₹43,403.23 करोड़ की निवल अप्राप्त हानि हुई, जिसे 31 मार्च 2025 तक ₹6,985.19 करोड़ के निवल अप्राप्त लाभ की तुलना में वायदा संविदा मूल्यांकन खाता (पीएफ़सीवीए) के प्रावधान के लिए कॉन्ट्रा क्रेडिट के साथ एफ़सीवीए को डेबिट किया गया था। मौजूदा नीति के अनुसार, एफसीवीए में ₹43,403.23 करोड़ के डेबिट शेष को 31 मार्च 2026 को सीएफ में समायोजित किया गया, जिसे अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2026 को एफसीवीए में शेष राशि शून्य रही।

XII.4.7 अन्य देयताएं

'अन्य देयताएं' 31 मार्च 2025 के ₹3,21,248.79 करोड़ से 21.1 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 तक ₹3,89,074.99 करोड़ हो गई, जो मुख्य रूप से वायदा संविदा मूल्यांकन खाते के प्रावधान में वृद्धि और केंद्र सरकार को देय अधिशेष के कारण है।

i. *वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (पीएफसीवीए) के लिए प्रावधान*

जैसा कि ऊपर बताया गया है, बकाया वायदा संविदा पर बाज़ार दरों पर अंकित निवल हानि को पीएफसीवीए को क्रेडिट किया गया था। 31 मार्च 2026 को पीएफसीवीए में शेष राशि ₹43,403.23 करोड़ रुपये थी, जबकि 31 मार्च 2025 को 'शून्य' शेष राशि थी।

पिछले पांच वर्षों के लिए पुनर्मूल्यांकन खातों और पीएफसीवीए में शेष राशि सारणी XII.3 में दी गई है।

ii. *देयताओं के लिए प्रावधान*

यह वर्ष के अंत में किए गए व्यय के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाता है, जिनका भुगतान नहीं किया गया है, और अग्रिम रूप से प्राप्त/देय आय (यदि कोई हो) को भी दर्शाता है। इस मद के तहत शेष राशि 31 मार्च 2025 को ₹4,088.31 करोड़ से 87.9 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹7,682.46 करोड़ हो गई।

iii. *केंद्र सरकार को देय अधिशेष*

आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यह्रास, कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति निधियों में योगदान और उन

सारणी XII.3: मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस), निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता (एफसीवीए) और वायदा संविदा मूल्यांकन खाते के लिए प्रावधान (पीएफसीवीए) में शेष राशि

(₹ करोड़)

निम्नलिखित तिथि को	सीजीआरए	आईआरए-एफएस	आईआरए-आरएस	एफसीवीए	पीएफसीवीए
1	2	3	4	5	6
31 मार्च 2022	9,13,389.29	0.00	18,577.81	2,576.90	0.00
31 मार्च 2023	11,24,733.16	0.00	0.00	1,354.96	0.00
31 मार्च 2024	11,30,793.34	0.00	0.00	170.37	0.00
31 मार्च 2025	13,02,964.89	0.00	16,843.35	6,985.19	0.00
31 मार्च 2026	21,68,530.23	0.00	0.00	0.00	43,403.23

सभी मामलों के लिए प्रावधान करने के बाद जिनके लिए अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रावधान किए जाने हैं या जो आमतौर पर बैंकरों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, रिज़र्व बैंक के लाभ की शेष राशि का भुगतान केंद्र सरकार को किया जाना अपेक्षित है। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 48 के तहत, रिज़र्व बैंक अपनी किसी भी आय, लाभ या लाभ पर आय कर या सुपर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तदनुसार, सीएफ के लिए प्रावधान और चार सांविधिक निधियों में ₹4 करोड़ के योगदान सहित व्यय को समायोजित करने के बाद, वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को देय अधिशेष राशि ₹2,86,588.46 करोड़ रही (इसमें पिछले वर्ष के ₹228.62 करोड़ की तुलना में ₹114.31 करोड़ शामिल हैं, जो विशेष प्रतिभूतियों को विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय में अंतर के लिए देय हैं)।

iv. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने घटकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र के अलावा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) जारी करके धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है। इस मद के अंतर्गत शेष राशि, दावा न किए गए डीडी/पीओ को दर्शाती है। इस मद के अंतर्गत बकाया राशि 31 मार्च 2025 को ₹0.09 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹6.80 हो गई।

v. विविध

यह एक अवशिष्ट शीर्ष है, जिसमें निर्धारित प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज, अवकाश नकदीकरण के कारण देय राशि, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, कुल प्रावधान आदि जैसी मदें शामिल हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च 2025 को ₹12,099.75 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2026 को ₹11,988.74 करोड़ हो गई।

XII.4.8 निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताएं प्रचलन में मौजूद मुद्रा नोटों की मात्रा को दर्शाती हैं। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 34(1) के अनुसार, 1 अप्रैल 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोट और रिज़र्व बैंक के परिचालन प्रारंभ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी मुद्रा नोट, निर्गम विभाग की देयताओं का हिस्सा होंगे।

"जारी किए गए नोट" 31 मार्च 2025 के ₹36,87,827.04 करोड़ से 11.8 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹41,24,766.88 करोड़ हो गए। 31 मार्च 2026 तक, डिजिटल रूप में सीबीडीसी-आर, अर्थात ई₹-रिटेल (ई₹-आर) में संचलनगत बैंक नोटों का मूल्य ₹771.66 करोड़ हो गया, जबकि 31 मार्च 2025 को यह ₹1016.46 करोड़ था।

डिजिटल रूप सीबीडीसी-डबल्यू अर्थात e₹-थोक में प्रचलन में बैंकनोटों का मूल्य 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 तक शून्य था। वित्तीय संस्थानों के बीच बड़े मूल्य के लेन-देन के निपटान के लिए e₹-थोक का उपयोग किया जा रहा है। प्रतिभागी बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्वतः-मोचन सुविधा के चलते, ई₹-डब्ल्यू में शेष राशि का दिवस के अंत में अंतर्निहित चालू खाते में वापस मोचन किया जाता है और इसलिए, शेष राशि को लेन-देन की मात्रा और मूल्य को प्रतिबिंबित करने के लिए सार्थक नहीं माना जाता है।

पूर्व में, 30 जून 2018 तक ₹10,719.37 करोड़ की राशि, जो कि भुगतान न किए गए निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य को दर्शाती है, 'अन्य देयताओं' में स्थानांतरित कर दी गई। रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान पात्र निविदाकारों को एसबीएन के विनिमय मूल्य के लिए ₹5.42 करोड़ तक का भुगतान किया है और इस शीर्ष के लिए किया गया संचयी भुगतान ₹51.84 करोड़ रहा।

[2] भौतिक और डिजिटल रूप में बैंकनोट को शामिल हैं।

XII.5 रिज़र्व बैंक की आस्तियां

XII.5.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्का, छोटा (कम मूल्य का) सिक्का

यह मद बैंक नोटों, एक रुपये के नोटों, ₹1, 2, 5, 10 और 20 के रुपये के सिक्कों और रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित बैंकिंग कार्यों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखे गए छोटे सिक्कों के शेष को दर्शाती है। 31 मार्च 2026 तक यह शेष राशि ₹11.72 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2025 तक यह शेष राशि ₹11.26 करोड़ थी।

ii) स्वर्ण - बैंकिंग विभाग (बीडी)

31 मार्च 2026 तक रिज़र्व बैंक के पास कुल स्वर्ण 880.52 मीट्रिक टन था, जबकि 31 मार्च 2025 तक यह 879.58 मीट्रिक टन था, जो वर्ष के दौरान स्वर्ण में 0.94 मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है।

880.52 मीट्रिक टन में से 312.32 मीट्रिक टन स्वर्ण, निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है, जबकि 31 मार्च 2025 तक यह 311.38 मीट्रिक टन था। शेष 568.20 मीट्रिक टन, जो कि 31 मार्च 2025 को भी यही था, बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में माना जाएगा (सारणी XII.4) ।

सारणी XII.4: स्वर्ण की भौतिक धारिता

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2026 तक
	मीट्रिक टन में मात्रा	मीट्रिक टन में मात्रा
1	2	3
जारी किए गए नोटों के बदले में रखा गया स्वर्ण (भारत में धारित)	311.38	312.32
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) (भारत और विदेश में धारित स्वर्ण सहित)	568.20#	568.20*
कुल	**879.58**	**880.52**

#: 200.60 मीट्रिक टन भारत में तथा 367.60 मीट्रिक टन विदेश में धारित.
*: 367.73 मीट्रिक टन भारत में तथा 200.47 मीट्रिक टन विदेश में धारित.

बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) का मूल्य 31 मार्च 2025 के ₹4,31,624.80 करोड़ से 63.6 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹7,06,162.36 करोड़ हो गया। यह वृद्धि स्वर्ण की कीमत में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के कारण हुई है।

iii) क्रय किए गए और भुनाए गए बिल

आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद और भुनाई कर सकता है। 2025-26 में ऐसी कोई गतिविधि नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2026 तक रिज़र्व बैंक के बही-खातों में ऐसी कोई आस्ति नहीं थी।

iv) निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में शामिल हैं, (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में रखी जमाराशियां, (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के पास रखी जमाराशियां, (iii) विदेशों में स्थित वाणिज्यिक बैंकों के पास रखी जमाराशियां, (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश, और (v) भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)।

एफसीए को तुलन पत्र में दो प्रमुख मदों के अंतर्गत दर्शाया गया है: (ए) 'निवेश-विदेशी-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में दर्शाया गया है, और (बी) 'निवेश-विदेशी-आईडी' जिसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में दिखाया गया है।

'निवेश-विदेशी-आईडी' एफसीए हैं, जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 33(6) के अनुसार पात्र हैं, जिनका उपयोग जारी किए गए नोटों के समर्थन के लिए किया जाता है। एफसीए का शेष हिस्सा 'निवेश-विदेशी-बीडी' है।

एफसीए की पिछले दो वर्षों की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

सारणी XII.5: विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण		31 मार्च तक	
		2025	2026
1		2	3
I	निवेश-विदेशी-बीडी*	14,32,572.10	15,32,082.73
II	निवेश-विदेशी-आईडी	34,50,960.74	37,36,151.53
कुल		**48,83,532.84**	**52,68,234.26**

*: इसमें बीआईएस और सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फ़ाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन्स (स्विफ्ट) और भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित एसडीआर शामिल हैं, जिनका मूल्य 31 मार्च 2026 को ₹15,619.92 करोड़ था जबकि 31 मार्च 2025 को यह राशि ₹13,361.50 करोड़ थी।

टिप्पणियाँ:

1. रिज़र्व बैंक आईएमएफ की 'उधार लेने की नई व्यवस्था' (एनएबी) के तहत संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है। 01 जनवरी 2021 से एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता एसडीआर 8.88 बिलियन (₹1,14,364.00 करोड़/यूएस$12.06 बिलियन) है। 31 मार्च 2026 तक एनएबी के तहत कोई निवेश बकाया नहीं है।
2. रिज़र्व बैंक, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश के लिए सहमत हो गया है, तथापि समग्र रूप से यह राशि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹47,415.65 करोड़) से अधिक नहीं हो। 31 मार्च 2026 तक रिज़र्व बैंक ने ऐसे बॉण्ड में 0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹3,793.25 करोड़) का निवेश किया है।
3. वर्ष 2013-14 के दौरान, रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से एसडीआर धारिता को भारत सरकार से आरबीआई को हस्तांतरित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। 31 मार्च 2026 तक 1.18 बिलियन (₹15,236.92 करोड़/ $1.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य का एसडीआर रिज़र्व बैंक के पास था।
4. क्षेत्रीय वित्तीय और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक सार्क सदस्य देशों को सार्क स्वैप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये, दोनों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने के लिए सहमत हो गया है। 31 मार्च 2026 तक सार्क और एसीयू मुद्रा विनिमय व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹11,837.16 करोड़) थी।
5. पुनर्खरीद और आईआरएफ लेनदेन में संपार्श्विक और मार्जिन के रूप में दर्शायी गई विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य 31 मार्च 2026 तक ₹1,85,563.08 करोड़/19.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के तहत प्राप्त प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹1,83,158.73 करोड़/19.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
6. 31 मार्च 2026 को प्रतिभूति उधार देने की व्यवस्था के तहत उधार दी गई विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹1,13,685.01 करोड़/11.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
7. आईआरएफ संविदाओं और मुद्रा वायदा संविदाओं की अनुमानित राशि क्रमशः 3.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 1.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। वायदा संविदाओं की अनुमानित राशि का उपयोग दैनिक देय/प्राप्य मार्जिन की गणना करने के लिए किया जाता है और इसके लिए निपटान की आवश्यकता नहीं होती है।
8. क्रॉस-करेंसी फॉरवर्ड्स/स्वैप्स (यूएसडी-आईएनआर सौदों के अलावा) के हिस्से के रूप में अनुमानित देय/प्राप्य राशि 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

v) निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग (बीडी)

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड शामिल हैं। रिज़र्व बैंक की घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता, जो 31 मार्च 2025 को ₹15,58,573.83 करोड़ थी, 44.9 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹22,58,591.14 करोड़ हो गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों की निवल खरीद के कारण हुई।

निवेश-घरेलू-बीडी का एक हिस्सा विभिन्न स्टाफ फंड, डीईए फंड और पीआईडीएफ के लिए भी निर्धारित किया गया है जैसा कि पैरा 2.5 (डी) में बताया गया है। 31 मार्च 2026 तक, उक्त निधि के लिए ₹1,61,895.59 करोड़ (अंकित मूल्य) निर्धारित किए गए।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र और राज्य सरकारें

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के तहत रिज़र्व बैंक, केंद्र सरकार को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को डब्ल्यूएमए, ओडी और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के रूप में अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार के लिए डब्ल्यूएमए सीमा भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाती है। अलग-अलग राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मामले में बैंक द्वारा गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर

डब्ल्यूएमए सीमा निर्धारित की जाती है। क्रमशः 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार द्वारा डब्ल्यूएमए की सुविधा नहीं ली गई। राज्य सरकारों को दिया गया ऋण और अग्रिम 31 मार्च 2025 के ₹32,688.09 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2026 को ₹32,506.59 करोड़ हो गया।

बी) *वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम*

- *वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम:* इनमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और बैंकों को विशेष चलनिधि सुविधा के तहत रेपो के समक्ष बकाया राशि शामिल है। रेपो परिचालन के तहत बैंकों द्वारा ली गई धनराशि में वृद्धि के चलते बकाया राशि 0.9 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2025 के ₹2,53,663.00 करोड़ से 31 मार्च 2026 को ₹2,56,062.00 करोड़ हो गई।

- *नाबार्ड को ऋण और अग्रिम:*

  भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण दे सकता है। 31 मार्च 2025 की तरह 31 मार्च 2026 तक कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं था और तदनुसार, इस खाते में शेष राशि शून्य थी।

- *दूसरों को ऋण एवं अग्रिम राशि:*

  इस मद के अंतर्गत शेष राशि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम तथा प्राथमिक डीलरों (पीडी) को प्रदान की गई चलनिधि सहायता को दर्शाती है। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च 2025 के ₹36,426.09 करोड़ से 28.1 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2026 को ₹26,190.46 करोड़ हो गई।

सी) *भारत के बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम*

इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 41.1 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2025 के ₹1,11,933.06 करोड़ से 31 मार्च 2026 को ₹1,62,459.64 करोड़ हो गई, जो बकाया रिवर्स रेपो लेनदेन को दर्शाती है।

vii) **सहायक कंपनियों/सहयोगी संस्थाओं में निवेश**

31 मार्च 2026 तक सहायक कंपनियों/सहयोगी संस्थानों में निवेश की स्थिति सारणी XII.6 में दी गई है। 31 मार्च 2026 तक कुल होल्डिंग ₹ 2,063.60 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2025 के ही समान है।

viii) **अन्य आस्तियां**

'अन्य आस्तियों' में अचल आस्तियां (मूल्यह्रास के बाद निवल), अर्जित आय, स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का पुनर्मूल्यांकन खाता (आरएफ़सीए) और विविध आस्तियां शामिल हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम, पूर्ण होने तक लंबित परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि, भुगतान की गई सुरक्षा जमा राशि आदि शामिल हैं। 'अन्य आस्तियों' के तहत बकाया राशि 31 मार्च 2025 तक ₹78,039.06 करोड़ से 23.3 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 तक ₹96,223.96 करोड़ हो गई।

सारणी XII.6: सहायक/सहयोगी कंपनियों में हिस्सेदारी

(₹ करोड़)

		2024-25	2025-26	31 मार्च 2026 तक प्रतिशत हिस्सेदारी
1		2	3	4
ए)	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00	100
बी)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (पी) लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00	100
सी)	रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (पी) लिमिटेड (रेबिट)	50.00	50.00	100
डी)	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)	30.00	30.00	30
ई)	इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज (आईएफटीएएस)	33.60	33.60	100
एफ)	रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच)	100.00	100.00	100
कुल		**2,063.60**	**2,063.60**	

ए) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

31 मार्च 2026 तथा 31 मार्च 2025 तक एसएए में शेष राशि शून्य थी, क्योंकि स्वैप के कोई भी बकाया अनुबंध नहीं थे, जो ऑफ-मार्केट दर पर रेपो की प्रकृति के थे।

बी) फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट (आरएफसीए) का पुनर्मूल्यांकन

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आरएफसीए में शेष राशि शून्य थी जबकि 31 मार्च 2025 को यह ₹6,985.19 करोड़ थी।

XII.5.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में निर्गम विभाग की पात्र आस्तियों में सोने के सिक्के, सोने के बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपए के सिक्के, रुपया प्रतिभूतियां और घरेलू विनिमय बिल तथा अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के पास 880.52 मीट्रिक टन स्वर्ण है, जिसमें से 312.32 मीट्रिक टन जारी किए गए नोटों के लिए समर्थन के रूप में रखा गया है (सारणी XII.4)। निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखे गए स्वर्ण का मूल्य 31 मार्च 2025 के ₹2,36,537.54 करोड़ से 64.1 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹3,88,147.13 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान स्वर्ण के मूल्य में यह वृद्धि, स्वर्ण की कीमत में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के कारण हुई है।

जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, निवेश-विदेशी-आईडी 31 मार्च 2025 को ₹34,50,960.74 करोड़ से 8.3 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ₹37,36,151.53 करोड़ हो गए।

निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों का शेष 31 मार्च 2025 को ₹328.76 करोड़ से 42.4 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹468.22 करोड़ हो गया।

विदेशी मुद्रा भंडार

XII.6 विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) में विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए), स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित), विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) धारिता और रिज़र्व ट्रांच स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं। भारत सरकार से प्राप्त एसडीआर धारिता रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा बनती हैं और इन्हें 'निवेश-विदेशी-बीडी' के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत सरकार के पास शेष एसडीआर धारिता और आरटीपी, जो विदेशी मुद्रा में आईएमएफ में भारत के कोटा योगदान को दर्शाता है, रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026 को भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर, जो रिज़र्व बैंक की एफईआर के लिए संख्यात्मक मुद्रा है, में एफईआर की स्थिति सारणी XII.7 (ए) और (बी) में प्रस्तुत की गई है।

सारणी XII.7(ए): विदेशी मुद्रा भंडार (रुपया)

(₹ करोड़)

घटक	को स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2026	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	48,50,833.99^	52,37,366.94#	3,86,532.95	8.0
स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित)	6,68,162.34@	10,94,309.49*	4,26,147.15	63.8
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1,55,289.18	1,76,589.25	21,300.07	13.7
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रांच स्थिति (आरटीपी)	37,855.07	45,595.61	7,740.54	20.4
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	**57,12,140.58**	**65,53,861.29**	**8,41,720.71**	**14.7**

^: इसमें (क) रिज़र्व बैंक की ₹13,024.49 करोड़ की एसडीआर होल्डिंग्स शामिल नहीं हैं, जो एसडीआर होल्डिंग्स के अंतर्गत शामिल है; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्ड में ₹3,418.74 करोड़ का निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा व्यवस्था के तहत उधार दिए गए ₹16,255.62 करोड़।

#: इसमें (क) रिज़र्व बैंक की ₹15,236.92 करोड़ की एसडीआर होल्डिंग्स शामिल नहीं हैं, जो एसडीआर होल्डिंग्स के अंतर्गत शामिल है; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्ड ₹3,793.25 करोड़ का निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा व्यवस्था के तहत उधार दिए गए ₹11,837.16 करोड़, और (घ) नेक्सस ग्लोबल पेमेंट्स के निधीयन में आरबीआई का ₹53.32 का योगदान।

@: इसमें से ₹2,36,537.54 करोड़ रुपये मूल्य का सोना निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है और ₹4,31,624.80 करोड़ रुपये मूल्य का सोना (स्वर्ण जमा सहित) बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

*: इसमें से ₹3,88,147.13 करोड़ रुपये मूल्य का सोना निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है और ₹7,06,162.36 करोड़ रुपये मूल्य का सोना (स्वर्ण जमा सहित) बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

आय और व्यय का विश्लेषण

XII.7 रिज़र्व बैंक की आय के घटक हैं 'ब्याज' और 'अन्य आय' जिसमें शामिल हैं (i) छूट, (ii) विनिमय, (iii) कमीशन, (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि, (vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो हस्तांतरण पर मूल्यह्रास, (vii) वसूला गया किराया, (viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि, (ix) प्रावधान, जो अब आवश्यक नहीं है, और (x) विविध आय। एलएएफ रेपो पर ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रेपो और विदेशी मुद्रा लेनदेन से विनिमय लाभ/हानि जैसी आय की कुछ मदों को निवल आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

सारणी XII.7(बी): विदेशी मुद्रा भंडार (यूएसडी)

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

घटक	को स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2026	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	567.56*	552.28**	-15.28	-2.7
स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित)	78.18	115.40	37.22	47.6
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	18.17	18.62	0.45	2.5
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रांच स्थिति (आरटीपी)	4.42	4.81	0.39	8.8
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	**668.33**	**691.11**	**22.78**	**3.4**

*: इसमें (क) रिज़र्व बैंक की 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर धारिता शामिल नहीं हैं, जो एसडीआर धारिता के अंतर्गत आती हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) के बांडों में निवेशित 0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत उधार दिए गए 1.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल नहीं हैं।

**: इसमें (क) रिज़र्व बैंक की 1.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर धारिता शामिल नहीं हैं, जो एसडीआर धारिता के अंतर्गत आती हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) के बांडों में निवेशित 0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत उधार दिए गए 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर (घ) नेक्सस गोलबल पेमेंट्स के निधीयन के लिए आरबीआई का 0.005 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान शामिल नहीं हैं।

विदेशी स्रोतों से आय

XII.8 विदेशी स्रोतों से आय वर्ष 2024-25 के ₹2,58,837.55 करोड़ से 26.6 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹3,27,655.54 करोड़ हो गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों पर आय की दर वर्ष 2024-25 में 5.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2025-26 में 6.4 प्रतिशत हो गई (सारणी XII.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.9 घरेलू स्रोतों से निवल आय वर्ष 2024-25 के ₹79,470.54 करोड़ से 25.9 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹1,00,028.61 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज में वृद्धि है (सारणी XII.9)।

XII.10 रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) की धारिता पर ब्याज वर्ष 2024-25 के ₹85,524.67 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹1,17,739.57 करोड़ हो गया।

XII.11 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/ सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)/ स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) परिचालन से निवल ब्याज आय वर्ष 2024-25 के ₹(-)10,120.25 करोड़ से घटकर वर्ष 2025-26 में ₹(-)19,162.97 करोड़ हो गई।

XII.12 रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ वर्ष 2024-25 के ₹1,105.16 करोड़ से घटकर वर्ष 2025-26 में ₹886.45 करोड़ हो गया।

XII.13 *रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) पर प्रीमियम/ डिस्काउंट के परिशोधन* के परिणामस्वरूप निवल आय वर्ष 2025-26 में ₹(-)5,024.58 रही, जो वर्ष 2024-25 में ₹ (-)2,681.71 करोड़ से कम रही।

XII.14 वर्ष 2024-25 की भांति वर्ष 2025-26 में बट्टागत लिखतों (टी-बिल) की धारिता से कोई आय प्राप्त नहीं हुई।

XII.15 *ऋण और अग्रिमों पर ब्याज*

ए. केंद्र और राज्य सरकार:

केंद्र और राज्य सरकार, दोनों को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर ब्याज से प्राप्त होनेवाली आय वर्ष 2024-25 के ₹1,259.20 करोड़ से 8.4 प्रतिशत घटकर वर्ष 2025-26 में ₹1,153.80 करोड़ हो गई। केंद्र सरकार से प्राप्त ब्याज आय वर्ष 2024-25 के ₹20.16 करोड़ से 98.6 प्रतिशत घटकर वर्ष 2025-26 में ₹0.28 करोड़ हो गई। राज्य सरकारों से प्राप्त ब्याज आय वर्ष 2024-25 के ₹1,239.04 करोड़ से 6.9 प्रतिशत घटकर वर्ष 2025-26 में ₹1,153.52 करोड़ हो गई। समग्र ब्याज आय में गिरावट का कारण रेपो दर में कमी, और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा डबल्यूएमए/ ओडी के माध्यम से वित्तीय सुविधा का कम प्रयोग करना है।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2025-26	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	48,83,532.84	52,68,234.26	3,84,701.42	7.9
औसत एफसीए	48,73,053.30	50,99,520.23	2,26,466.93	4.6
एफसीए से आय (ब्याज, छूट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	2,58,837.55	3,27,655.54	68,817.99	26.6
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में एफसीए से आय	5.3	6.4	1.1	20.8

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ करोड़ में)

मद	2024-25	2025-26	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
आय (I+II+III+IV)	**79,470.54**	**1,00,028.61**	**20,558.07**	**25.9**
I. रुपया प्रतिभूतियों और बट्टा लिखतों से अर्जन				
i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज (तेल बॉण्ड सहित)	85,524.67	1,17,739.57	32,214.90	37.7
ii) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ/हानि	1,105.16	886.45	-218.71	-19.8
iii) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास	-69.50	-45.49	24.01	34.5
iv) रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) पर प्रीमियम/ बट्टा का परिशोधन	-2,681.71	-5024.58	-2342.87	-87.4
v) बट्टा	0.00	0.00	0.00	0.0
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	***83,878.62***	***1,13,555.95***	***29,677.33***	***35.4***
II. एलएएफ/ एमएसएफ/एसडीएफ पर ब्याज				
i) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	-4739.82	-8,681.73	-3,941.91	-83.2
ii) एसडीएफ पर ब्याज	-5,844.65	-10,599.55	-4,754.90	-81.4
iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	464.22	118.31	-345.91	-74.5
उप जोड़ (i+ii+iii)	***-10,120.25***	***-19,162.97***	***-9,042.72***	***-89.4***
III. अन्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	1,259.20	1,153.80	-105.40	-8.4
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	564.32	516.47	-47.85	-8.5
iii) कर्मचारी	99.25	117.67	18.42	18.6
उप जोड़ (i+ii+iii)	***1,922.77***	***1,787.94***	***-134.83***	***-7.0***
IV. अन्य आय				
i) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.0
ii) कमीशन	4,131.64	4,523.37	391.73	9.5
iii) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय	-342.24	-675.68	-333.44	-97.4
उप जोड़ (i+ii+iii)	***3,789.40***	***3,847.69***	***58.29***	***1.5***

बी. बैंक और वित्तीय संस्थान:

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय वर्ष 2024-25 के ₹564.32 करोड़ से 8.5 प्रतिशत घटकर वर्ष 2025-26 में ₹516.47 करोड़ हो गई।

सी. कर्मचारी:

कर्मचारियों को दिये जानेवाले ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय वर्ष 2024-25 के ₹99.25 करोड़ से 18.6 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹117.67 करोड़ हो गई।

XII.16 *कमीशन:* कमीशन आय जो वर्ष 2024-25 में ₹4,131.64 करोड़ से 9.5 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹4,523.37 करोड़ हो गई, यह वृद्धि केंद्र सरकार के बकाया ऋणों की अदायगी के लिए प्राप्त प्रबंधन कमीशन में वृद्धि और निर्गमों के फ्लोटेशन शुल्क में वृद्धि के कारण हुई है।

XII.17 *प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होनेवाला लाभ/हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय*: इन आय शीर्षों से आय वर्ष 2024-25 में ₹(-)342.24 करोड़ से घटकर वर्ष 2025-26 में ₹(-)675.68 करोड़ हो गई।

व्यय

XII.18 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को करने के दौरान एजेंसी प्रभारों/कमीशन, नोटों की छपाई, मुद्रा के प्रेषण पर व्यय के अलावा कर्मचारियों से संबंधित और अन्य खर्चों के माध्यम से व्यय करता है। रिज़र्व बैंक का कुल व्यय वर्ष 2024-25 में ₹ 69,714.02 करोड़ से 102.4 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹ 1,41,091.69 करोड़ हो गया (सारणी XII.10)।

i) ***ब्याज***

वर्ष 2025-26 के दौरान, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर बीसीवाई फंड और आरबीआई कर्मचारी परोपकारी कोष को ब्याज के रूप में ₹2.71 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, जो वर्ष 2024-25 के लिए ₹2.44 करोड़ के ब्याज भुगतान से ₹27 लाख अधिक था। ब्याज भुगतान में यह वृद्धि निधि शेष में वृद्धि के कारण हुई थी।

ii) ***कर्मचारी लागत***

पेंशन संशोधन के कारण चालू वर्ष में विभिन्न कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधियों में विशेष रुप से उच्च अंशदान के कारण कुल कर्मचारी लागत वर्ष 2024-25 में ₹9,146.71 करोड़ से 10.8 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹10,136.31 करोड़ हो गई।

iii) एजेंसी प्रभार/कमीशन

ए. *सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन*

रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों के माध्यम से सरकारों को बैंकर के कार्य का निर्वहन करता है। रिज़र्व बैंक सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों के लिए एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन का भुगतान करता है। 01 अप्रैल 2025 से एजेंसी कमीशन दरों में वृद्धि के कारण निवल एजेंसी कमीशन भुगतान वर्ष 2024-25 में ₹3,531.76 करोड़ से 30.4 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹4,605.81 करोड़ हो गया।

बी. *प्राथमिक डीलरों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन*

प्राथमिक डीलरों (पीडी) को भुगतान किए गए हामीदारी कमीशन के कारण व्यय वर्ष 2024-25 में ₹15.78 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹86.34 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान हामीदारी कमीशन में वृद्धि का श्रेय भू-राजनीतिक जोखिमों की तीव्रता के बीच मौजूदा बाजार स्थितियों को दिया जा सकता है।

सारणी XII.10: व्यय

(₹ करोड़)

मद	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज	1.77	1.92	2.19	2.44	2.71
ii. कर्मचारी लागत	3,869.43	6,003.93	7,890.11	9,146.71	10,136.31
iii. एजेंसी प्रभार/ कमीशन	4,400.62	4,068.62	3,976.31	3,669.56	4,880.05
iv. नोटों का मुद्रण	4,984.80	4,682.80	5,101.40	6,372.82	4,875.20
v. प्रावधान	1,14,667.01	1,30,875.75	42,819.91	44,861.70	1,09,379.64
vi. अन्य	1,877.05	2,404.02	4,904.41	5,660.79	11,817.78
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	**1,29,800.68**	**1,48,037.04**	**64,694.33**	**69,714.02**	**1,41,091.69**

सी. विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत/बचत बॉण्ड अभिदान के लिए बैंकों को भुगतान किए गए टर्नओवर कमीशन और प्रतिभूति उधार और उधर लेन-देन व्यवस्था (एसबीएलए) पर किया गया कमीशन का भुगतान आदि शामिल है। इस मद के तहत भुगतान किया गया कमीशन वर्ष 2024-25 में ₹6.47 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹11.18 करोड़ हो गया।

डी. बाहरी आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों, दलालों आदि को अदा किया गया शुल्क

इस शीर्ष के तहत व्यय 2024-25 में ₹115.55 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹176.72 करोड़ हो गया।

iv) ***नोट मुद्रण***

2025-26 के लिए बैंक नोटों की कम मांग के कारण 2025-26 के दौरान नोटों की छपाई पर खर्च ₹4,875.20 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹6,372.82 करोड़ था।

v) ***प्रावधान***

ईसीएफ के लिए आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को तुलन पत्र के आकार के 4.50 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। केंद्रीय बोर्ड ने मंजूरी दी कि सीआरबी को वर्ष 2025-26 के लिए रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के आकार के 6.50 प्रतिशत पर बनाए रखा जा सकता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान ₹1,09,379.64 करोड़ का प्रावधान किया गया और सीएफ को हस्तांतरित किया गया (सारणी XII.2)।

vi. ***अन्य***

अन्य खर्चों में मुद्रा के प्रेषण, मुद्रण और स्टेशनरी, ऑडिट शुल्क और संबंधित खर्च, विविध व्यय *आदि* पर व्यय शामिल है, जो वर्ष 2024-25 में ₹ 5,660.79 करोड़ से 108.8 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹11,817.78 करोड़ हो गया।

आकस्मिक देयताएं

XII.19 रिज़र्व बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹1,159.19 करोड़ थीं। इसका मुख्य घटक अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर हैं, जो रिज़र्व बैंक के पास एसडीआर में अंकित हैं। इन शेयरों पर अनाहूत देयताएं 31 मार्च 2026 तक ₹1,148.95 करोड़ थी। शेष राशि बीआईएस निदेशक मंडल के निर्णय द्वारा तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती हैं।

पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.20 प्रकटीकरण के उद्देश्य से, केवल ₹1 लाख और उससे अधिक के पूर्व अवधि के लेनदेन पर विचार किया गया है। व्यय और आय के तहत पिछली अवधि के लेनदेन की राशि क्रमशः ₹460.44 करोड़ और ₹0.19 करोड़ थी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान

XII.21 निम्नलिखित सारणी में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान के मामलों को प्रस्तुत किया गया है:

पिछले साल के आंकड़े

XII.22 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलन की जा सके।

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25		2025-26	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4	5
i. मूल राशि और उस पर देय ब्याज जिसका भुगतान 31 मार्च तक किसी आपूर्तिकर्ता को नहीं हुआ है	-	-	-	-
ii. लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि;	0.0057	0.0004	1.61	0.01
iii. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) जिसमें अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज न जोड़ा गया हो;	-	-	-	-
iv. लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज की राशि जिसका भुगतान न हुआ हो;	-	-	-	-
v. अतिरिक्त ब्याज राशि, जो बाद के वर्षों में भी बकाया और देय है, जिसका भुगतान उस तारीख तक जब उसका भुगतान वास्तव में छोटे उद्यम को किया गया हो, बकाया हो, जो धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के उद्देश्य के रूप में अस्वीकृत है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

-: शून्य.

लेखापरीक्षक

XII.23 रिज़र्व बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2025-26 के लिए रिज़र्व बैंक के खातों का ऑडिट मेसर्स सोराब एस इंजीनियर एंड कंपनी, मुंबई और मेसर्स कल्याणीवाला एंड मिस्त्री एलएलपी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में और मेसर्स लोढ़ा एंड कंपनी एलएलपी, कोलकाता, मैसर्स एस. विश्वनाथन एलएलपी, चेन्नई और मेसर्स वॉकर चांडियोक एंड कंपनी एलएलपी, नई दिल्ली द्वारा वैधानिक शाखा लेखापरीक्षक के रूप में किया गया था।